अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2021 / 1054

रीवा दिनांक 5.8.21

अधिसूचना

आदेशानुसार मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत समाजविज्ञान संकाय अन्तर्गत **प्रा0भा0इति0सं0 एवं पुरातत्व** के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :–

प्रा0भा0इति0सं0 एवं पुरातत्व अध्ययन मण्डल

अधिनियम			
	28(2) एक	1	प्रो0 सी0डी0 सिंह, आचार्य, प्रा0भा0इति0सं0 एव पुरातत्व विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
		2.	प्रो0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, प्रा0भा0इति0स0 एव पुरातत्व विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
	28(2) दो	1	रिक्त
		2.	रिक्त
	28(2) तीन	1.	रिक्त
	28(2) चार	1.	रिक्त
		2.	रिक्त
	28(2) पाँच	1.	प्रो0 नागेश दुबे, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, प्रा0भा0इति0सं0 एव पुरातत्व विभाग, डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0)
		2.	डॉ0 मोहन लाल चढार, आचार्य, प्रा0भा0इति0सं0 एवं पुरातत्व विभाग, इंदिरा गाधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत प्रो0 सी0डी0 सिंह को प्रा0भा0इति0सं0 एवं पुरातत्व के अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

कुलसचिव 5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
5. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
6. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

Asha Anuragi

Scanned with OKEN Scanner